किशोर कीर्ति लाल मेहता और अन्य

बनाम

लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट एंड अन्य

9 जुलाई, 2007

[तरण चटर्जी और पी. के. बालासुब्रमण्यन, जे. जे.]

अंतरिम आदेशः

विचारण न्यायालय ने वाद के संशोधन को अस्वीकार करते हुए, प्रतिवादी संख्या 11 और 13 के लिखित कथन के भागो को हटाते हुए तथा वादी के मुख्य परीक्षण के भागो को सम्बंधित शपथ पत्र से हटाते हुए आदेश पारित किया - रिट याचिका अन्तर्गत अनु. 227 - उच्च न्यायालय ने याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और नोटिस जारी किया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संचालन पर अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया-सुप्रीम कोर्ट द्वारा हस्तक्षेप-आयोजित होने का क्षेत्रः उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक अंतरिम आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगा-लेकिन ऐसे अवसर भी आ सकते हैं जब उच्चतम न्यायालय को अपने सुधारात्मक अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप करने के लिए कहा जाए। वर्तमान मामले में, वाद के संशोधन से इनकार करने

वाले आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगाने का कोई कारण नहीं है-इस तरह का रोक का आदेश अर्थहीन होगा क्योंकि अभी तक वाद में कोई संशोधन नहीं किया गया है और एक संशोधन तभी अस्तित्व में आएगा जब उच्च न्यायालय को यह ऐसा मामला लगता है जहां ऐसा हस्तक्षेप चाहा गया है|

लेकिन, प्रतिवादी संख्या 11 व 13 के लिखित बयानों के कुछ हिस्सों को हटाने वाले , मुख्य परीक्षण के संबंध मे दिये गए शपथ पत्रो के भाग को हटाने वाले आदेशों के संचालन पर रोक तभी न्यायोचित होगी यदि उच्च न्यायालय को विचारण न्यायालय के उन आदेशों को चुनौती स्वीकार करनी है, इसका अर्थ होगा कि गवाहों को वापस बुलाया जाए और उन पहलुओं पर उनसे सवाल पूछा जाए जो अब उन पहलुओं को शामिल करने के लिए उठाए गए हैं और इससे विचारण मे असुविधा होगी। भारत का संविधान, 1950- अनुच्छेद 227

न्यास के प्रशासन से संबंधित एक मुकदमे में, निचली अदालत ने प्रतिवादी 11 से 13 के लिखित बयान के कुछ हिस्सों को हटाने का आदेश पारित किया। साथ ही वादी द्वारा मुख्य परीक्षण मे पेश किए गए शपथ पत्र के एक भाग को हटाने का भी आदेश प्रदान किया। मुख्य परीक्षा में अपने हलफनामे के साक्ष्य के एक हिस्से को रद्द करने के आदेश के विरुद्ध , वादी ने वाद पत्र मे संशोधन के लिए एक आवेदन दायर किया लेकिन आवेदन खारिज कर दिया गया| निचली अदालत के सभी उक्त आदेशों को

संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर करके चुनौती दी गई थी। उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को स्वीकार किया और नोटिस जारी किया, लेकिन ट्रायल कोर्ट के संबंधित आदेशों के संचालन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

इस न्यायालय में की गयी अपील में, अपीलार्थीगण (वादी और प्रतिवादी 11 से 13) उन्होंने तर्क दिया कि निचली अदालत के आदेशों को चुनौती स्वीकार करने के बाद, उच्च न्यायालय ने संबंधित आदेशों के संचालन पर रोक लगाने से इनकार करना न्यायोचित नहीं था।

अपीलों का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया -

1. उच्च न्यायालय द्वारा पारित प्रत्येक अंतरिम आदेश के मामले में हस्तक्षेप करना इस न्यायालय का काम नहीं है। लेकिन, ऐसे अवसर हो सकते हैं जब इस न्यायालय को अपने सुधारात्मक अधिकार क्षेत्र में कदम उठाने के लिए कहा जाता है। लेकिन यह किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और वे दुर्लभ हो सकते हैं। हालांकि आम तौर पर इस न्यायालय को किसी विशेष कार्यवाही में उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन देने से इनकार करने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यह नहीं माना जा सकता है कि यह न्यायालय कभी भी ऐसा नहीं करेगा चाहे परिस्थितियां कुछ भी हों। इस मामले में कोई उपयुक्त परिस्थिति मौजूद है या नहीं, यह अलग मामला है। [पैरा 10] [92-डी-ई]

2. इसमे कोई आशंका नहीं है कि इस न्यायालय के द्वारा स्थगन स्वीकार करना उच्च न्यायालयके प्रति गलत संकेत भेजेगा। केवल इसलिए कि यह न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा किए गए कार्य से विचलित होकर किसी मामले की परिस्थितियों में स्थगन का आदेश पारित करता है, यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि उच्च न्यायालय अचानक अपने समक्ष लंबित मामले में योग्यता पाएगा और जिस पर इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश द्वारा निर्देशित होगा। [पैरा 11] [92-सी; 93-ए]

3. वर्तमान मामले में, वाद पत्र के संशोधन को अस्वीकार करने का आदेश के संचालन को रोकने का कोई कारण नहीं है। स्थगन का ऐसा आदेश अर्थहीन होगा क्योंकि अभी तक वाद में कोई संशोधन नहीं किया गया है और एक संशोधन तभी अस्तित्व में आएगा जब उच्च न्यायालय इसे एक ऐसा मामला पाएगा जहां उसके समक्ष उठाए जाने वाले प्रासंगिक तर्कों के आलोक में हस्तक्षेप की आवश्यकता है, लेकिन प्रतिवादी के लिखित बयानों के कुछ हिस्सों को हटाने वाले आदेशों के प्रवर्तन पर रोक और वादी द्वारा दिए गए हलफनामे में मुख्य परीक्षा का हिस्से को हटाने के आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगाना तभी उचित होगा यदि उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत के उन आदेशों को चुनौती स्वीकार की जाए | जिसका मतलब यह होगा कि गवाहों को वापस बुलाना होगा और उन पहलुओं पर उनसे सवाल पूछना होगा जो अब उन पहलुओं को शामिल

करने के लिए किए गए हैं और इससे मुकदमे को असुविधा होगी। स्थगन देने का परिणाम केवल यह होगा कि गवाहों की परीक्षा में कुछ अप्रासंगिक पहलुओं को भी शामिल कर दिया जाएगा। यदि उच्च न्यायालय रिट याचिकाओं को खारिज कर देता है, तो उन भागों को हमेशा त्यागा जा सकता है। कुल मिलाकर, सबूत का वह हिस्सा खारिज किया जाना है जो अभिवचन के बाहर होने के रूप में कुछ इस प्रकार का है जिसे न्यायालय साक्ष्य पर चर्चा करने के बाद विचारणीय माने। इस स्तर पर यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी सबूत को बंद कर दें। दलीलों के किस हिस्से और सबूत के किस हिस्से को खारिज करना है, इस पर अदालत को उस आदेश के प्रकाश मे जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित किए जा सकते हो उन पर विचार करना होगा। यदि साक्ष्य का ऐसा भाग उन अभिवचनों द्वारा कवर गया है जिन्हें हटाये जाने का निर्देश दिया जाता है तब स्पष्ट रूप से साक्ष्य के उस हिस्से को नजरअंदाज करना होगा तथा ऐसा ही साक्ष्य के मामले मे भी किया जाएगा जहा ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत की जाती है जो अभिवचनों में शामिल नहीं है। जाहिर है , सवाल यह है कि क्या प्रतिवादी 11,12 और 13 वाद के दायरे को बढ़ा सकते है तो ऐसे प्रश्न पर दोनों न्यायालयों अर्थात उच्च नयायालय को ऐसे मुद्दे पर विचार करने के दौरान तथा विचारण न्यायालय को वाद के अंतिम रूप से विचारण के दौरान मनन करना होगा |

यह सुनिश्चित करने के क्रम मे कि एक संक्षिप्त मुकदमे की कोई संभावना नहीं है, प्रतिवादी 11,12 और 13 के लिखित बयान के कुछ हिस्सों को हटाने और वादी द्वारा मुख्य परीक्षा मे प्रस्तुत किए गए हलफनामे के कुछ हिस्सों को हटाने वाले आदेशों का संचालन पर रोक लगा दी गई है। मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी और इसमें कोई बाधा नहीं आएगी। यह पाया गया है कि उच्च न्यायालय ने मामले की सुनवाई को 20.7.2007 को रखा है और सभी पक्ष इस न्यायालय के समक्ष सहमत हैं कि वे उस दिन इस मामले पर बहस करने के लिए तैयार हैं। उच्च न्यायालय से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जाता है कि ऐसे सरल मुद्दों को शामिल करने वाली रिट याचिकाओं को 20.7.2007 पर ही लिया जाए और कानून के अनुसार तुरंत निपटाया जाए। [पैरा 12 और 13] [93 - बी, डी, ई, एफ; 94-ए, बी, सी, ई, एफ)

सिद्दीक मोहम्मद शाह बनाम माउंट सरन और अन्य। , ए आई आर (1930) पी. सी. 57, में संदर्भित

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार : सिविल अपील सं. 2917/2007

(बॉम्बे उच्च न्यायालय के रिट याचिका संख्या 4407/2007 के साथ सी.ए. सं. 2918 & 2919 2007 में निर्णय और आदेश दिनांकित 18.06.2007 से)

अपीलार्थियों के लिए डॉ. ए. एम. सिंघवी और एस. के. कपूर, वरिष्ठ अधिवक्ता। अमित सिब्बल, अंकुर चावला,नीलम असरानी, राहुल प्रताप, मीनाक्षी चटर्जी, महेश अग्रवाल, अमित शर्मा, सुजाता कुर्दुकर और ई. सी. अग्रवाल।

प्रत्यर्थियों के लिए शांति भूषण, रंजीत कुमार और श्याम दीवान, वरिष्ठ अधिवक्ता। , चेतन पी. एच. पारेख एंड कंपनी के लिए कपाडिया, तरुण गुलाटी, प्रवीण कुमार, ईश्वर नानकानी, पी. एच. पारेख, समीर पारेख और ललित चौहान।

न्यायालय का निर्णय श्री पी के बालसुब्रमनयन जस्टीस द्वारा पारित|

1. अनुमति प्रदान की ।

2. जब दाख़िली के स्तर पर अपील करने के लिए विशेष अनुमति के लिए याचिकाएँ जो उच्च न्यायालय के आदेश के विरुद्ध की गयी , विरोधी प्रत्यर्थिगण उनका विरोध करने हेतु प्रस्तुत हुए। इसलिए, पक्षों की सहमति से और इस न्यायालय के समक्ष सीमित मुद्दे पर ध्यान देते हुए, हम इन मामलों का अंतिम रूप से यहाँ और अब निपटान कर रहे हैं।

3. जिस वाद के विरुद्ध यह अपील की गयी है उनमे एक अपील श्रीमती चारू किशोर मेहता अपीलर्थी द्वारा दायर की गयी है जो अपील के लिए विशेष अनुमति याचिकाओं सी. सी. सं. 5818 और 5819 वर्ष 2007

से उत्पन्न दो अपीलों में से एक है। यह विवाद बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1950 द्वारा शासित लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट नामक ट्रस्ट के प्रशासन से संबंधित है। मुकदमे में कुछ विवादों को हल करने के लिए ट्रस्टियों की एक बैठक दिनांक 29-04-2006 को बुलाने के लिए जारी किए गए एक नोटिस 27.4.2006 को चुनौती दी गई और एक घोषणा की मांग की गई कि उस बैठक द्वारा कथित रूप से अपनाया गया प्रस्ताव अवैध और अमान्य और अन्य आकस्मिक राहत हेतु था | 2007 की सिविल अपील संख्या 1575 में इस न्यायालय के दिनांक 26-03-2007 के एक आदेश द्वारा, मुकदमे को जल्द से जल्द और उस तारीख से कम से कम छह महीने की अवधि के भीतर निपटाने का निर्देश दिया गया था। उस आदेश द्वारा एक अंतरिम व्यवस्था भी की गई थी। यह एक ऐसा सामान्य मामला है कि इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार मुकदमा शुरू हो गया है, वादी की आंशिक रूप से परीक्षा हो चुकी है तथा उसकी परीक्षा अपूर्ण चल रही है जिसे बाद में जारी रखा जाएगा। अभी तक, वादी के लिए एक गवाह से परीक्षा अर्थात जिरह की जा रही है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि इस न्यायालय के निर्देश के अनुसार, मुकदमे का निपटान 26.9.2007 के पहले किया जाना है।

4. मुकदमे में प्रतिवादी संख्या 11 वादी का पति है और प्रतिवादी 12 और 13 वादी के बच्चे हैं। उन्हें वाद पत्र मे संशोधन के आधार पर

पक्षकार बनाया गया था। प्रतिवादी संख्या 11 ने वादी के मामले का समर्थन करते हुए एक लिखित कथन दायर किया। प्रतिवादी 12 और 13 ने एक संयुक्त लिखित कथन दायर किया। उन्होंने भी आवश्यक रूप से वादी का समर्थन किया। विरोधकर्ता प्रतिवादियों के अनुसार, दायर किए गए लिखित बयानों में ऐसे कथनो को प्रस्तुत करने की प्रार्थना की गयी जो वाद से संबन्धित नहीं है और विवाद के दायरे को व्यापक बनाने की मांग की गई थी। इसलिए उन्होंने दो लिखित बयानों में इस तरह की दलीलों को खारिज करने के लिए एक आवेदन दायर किया। प्रतिवादी 11 से 13 ने उस दायर आवेदन का विरोध किया। निचली अदालत ने प्रतिवादी संख्या 11 के जवाब दावे के पैराग्राफ 4 से 31,35 और 36 और प्रतिवादी संख्या 12 और 13 के संयुक्त लिखित बयान से पैराग्राफ 4,7,11 व 12 को रद्द करने का आदेश पारित किया जिस से व्यथित होकर प्रतिवादी संख्या 11 से 13 ने उक्त आदेश को चुनौती देते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 को लागू करने के लिए उच्च न्यायालय के समक्ष एक रिट डब्ल्यू. पी. संख्या 4407 वर्ष 2007 का दायर की। उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर नोटिस जारी तो किया जो 20.7.2007 द्वारा वापसी योग्य थे परंतु उच्च न्यायालय ने मुकदमे या दिनांकित 30.4.2007 के आदेश के संचालन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह रोक का अंतरिम आदेश देने से इनकार है जो 2007 के एसएलपी (सी) संख्या 10954 में आक्षेपित किया गया है।

5. इस बीच, वादी ने अपनि मुख्य परीक्षा के समर्थन मे एक हलफनामा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश XVIII नियम 4 के अनुसार मुख्य परीक्षा के लिए दायर किया। प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों ने हलफनामे में साक्ष्य के उस हिस्से को बाहर निकालने के लिए एक आवेदन दायर किया, जो उनके अनुसार, वाद पत्र के अभिवचनों के बाहर गया था। वादी ने उस आवेदन पर आपत्ति दर्ज कराई। दिनांक 13-06-2007 के आदेश द्वारा, निचली अदालत ने प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों के उक्त आवेदन को स्वीकार कर लिया और वादी द्वारा दायर परीक्षा-इन-चीफ के हलफनामे में अनुच्छेद 11,21 से 25,27 और 29 को रद्द कर दिया। उस आदेश से व्यथित होकर वादी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत एक रिट याचिका 2007 का डब्ल्यू. पी. सं. 4698 दायर की ,जिसमे निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी। हालांकि उच्च न्यायालय ने रिट याचिका को स्वीकार कर लिया और दिनांक 20.7.2007 पर वापसी योग्य सूचना पत्र भी जारी कर दिए परंतु उच्च न्यायालय ने मुकदमे पर रोक लगाने या दिनांकित 13.6.2007 के आदेश के संचालन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। रिट याचिका के निपटारे तक अंतरिम आदेश देने से उच्च न्यायालय के इनकार से व्यथित होकर वादी विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से इस न्यायालय में आया है जिसके याचिका संख्या 2007 के सीसी संख्या 5818 हैं |

6. वादी द्वारा हुए मुख्य परीक्षा में दिये गए उनके शपथ पत्र साक्ष्य के एक हिस्से को हटाने के आदेश दिनांक 13.6.2007 के आदेश का सामना करते ने वादी ने वाद पत्र के संशोधन के लिए एक आवेदन प्रस्तुत किया। प्रस्तावित संशोधन द्वारा वाद पत्र मे उन्होंने पैराग्राफ 3 (ए), 3 (बी) के साथ-साथ वादी के पैराग्राफ 7 (ए) (आई) और 7 (ए) (आई) भी जोड़ना चाहा। प्रतिद्वंद्वी प्रतिवादियों ने विभिन्न आधारों पर उस आवेदन का विरोध किया। मुकदमे की सुनवाई करते हुए अदालत ने दिनांक 16.6.2007 के आदेश द्वारा आवेदन को खारिज कर दिया। उक्त आदेश को चुनौती देते हुए, वादी ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत उच्च न्यायालय में याचिका 2007 का डब्ल्यू. पी. संख्या 4697 दायर किया। उच्च न्यायालय ने उक्त रिट याचिका को स्वीकार करते हुए और 20.7.2007 द्वारा वापसी योग्य नोटिस जारी करते हुए, मुकदमे या दिनांकित 16.6.2007 के आदेश के संचालन पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। स्थगन देने से इनकार करने के आदेश को इस न्यायलय मे अपील के लिए विशेष अनुमति याचिका वर्ष 2007 के सीसी सं. 5819 के माध्यम से चुनौती दी गई है।

7. वादी और प्रतिवादी संख्या 11 से 13, जो यहा अपीलार्थी हैं , की और से पेश हुए विद्वान अधिवक्ता ने हमारे समक्ष प्रस्तुत किया कि निचली अदालत के आदेशों को चुनौती स्वीकार करने के बाद, उच्च

न्यायालय द्वारा संबंधित आदेशों के संचालन पर रोक लगाने से इनकार करना उचित नहीं था। अधिवक्ता ने विशेष रूप से प्रस्तुत किया कि वे मुकदमे की सुनवाई पर रोक लगाने की मांग नहीं कर रहे थे बल्कि वे केवल वाद के संशोधन से इनकार करने वाले आदेशों के संचालन पर , प्रतिवादी 11,12 और 13 के लिखित बयानों के कुछ हिस्सों को रद्द करने वाले और वादी की मुख्य परीक्षा मे पेश शपथ पत्र के भाग को हटाने वाले आदेशो के संचालन पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे | अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि अंतिम रूप से भारत के संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 227 मे पेश याचिका जो निचले न्यायालय के आदेशो के विरुद्ध वादी एवं प्रतिवादी संख्या 11 से 13 ने प्रस्तुत की है , जो स्वीकार कर ली जाती है तो ऐसी स्थिति मे साक्षियों की परीक्षा के दौरान वे सभी पहलू जो वाद के संशोधन तथा असंगत जवाब दावे एवं मुख्य परीक्षा मे दिये गए शपथ पत्रो से सम्बद्ध हैं उन पहलुओ को साक्षियों की परीक्षा मे से बाद मे निकालना पड़ेगा | इस दौरान यही गवाह पूरी हो गयी तो यह सोचने योग्य भ्रम की स्थिति उत्पन्न करेगा और साक्ष्य/गवाह दुबारा करवानी पड़ेगी और साक्षियों को पुनः बुलाना पड़ेगा और इन मामलों को फिर से कवर किया जाएगा। इसलिए वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिकाओं के निपटारे तक संबंधित आदेशों के संचालन पर रोक लगाई जा सकती है। इससे किसी के लिए कोई पूर्वाग्रह पैदा नहीं होगा।

8. विरोधकर्ता प्रत्यार्थियों की ओर से उपस्थित होने वाले विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत पेश याचिकाओं को स्वीकार करने में गलती की थी क्योंकि संहिता की धारा 115 मे वांछित संशोधन का उद्देश्य ऐसे अनाश्यक मामलो की बाढ़ के द्वार खोलना नहीं था ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हर आदेश को चुनौती दी जा सके। भारत के संविधान का अनुच्छेद 227 अधिकार क्षेत्र की त्रुटियों को सुधारने से संबंधित था और उच्च न्यायालय को वादी और प्रतिवादियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं पर विचार नहीं करना चाहिए था। वादी और प्रतिवादी 11 से 13 को यदि इस तरह की सलाह दी जाती है, तो उन्हें डिक्री के खिलाफ किसी भी अपील में संहिता की धारा 105 (1) के संदर्भ में इन आदेशों को चुनौती देने का अवसर उपलब्द्ध था यदि मामला ऐसा होता कि डिक्री के विरुद्ध अपील पेश करना आवश्यक हो जाता। अधिवक्ता ने बताया कि संहिता के आदेश VI नियम 17 के प्रावधान वर्ष 2002 में उपबंधित किए गए थे , इस मामले में वाद पत्र मे वांछित संशोधन मंजूर नहीं किया जा सकता क्योंकि तब संशोधन हेतु आवेदन किया गया साक्ष्य पहले ही शुरू हो चुका थी और संशोधन की अनुमति को उचित ठहराने वाली कोई असाधारण परिस्थिति नहीं थी। इसी तरह, जवाब दावे के कुछ हिस्सों और मुख्य परीक्षा में पेश हलफनामे के भाग को हटाने के आदेशों में भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। इस स्तर पर इन दलीलों पर विचार

करना हमारा काम नहीं है और यह प्रतिवादियों का काम है कि वे उच्च न्यायालय के समक्ष इन दलीलों को उठाएं, जिसमें निचली अदालत के आदेशों को चुनौती दी जा रही है। हमें यकीन है कि उच्च न्यायालय निचली अदालत के आदेशों को चुनौती देने पर विचार करते हुए, उन दलीलों पर भी विचार करेंगे जब वह अंतिम निपटान के लिए रिट याचिकाओं पर विचार कर रहे होंगे।

9. विरोध करने वाले प्रत्यार्थियों के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय के समक्ष आक्षेपित आदेशों के प्रवर्तन पर रोक लगाने के आदेश के परिणामस्वरूप मुकदमे की सुनवाई में बाधा आएगी और ऐसा आदेश इस न्यायलय द्वारा दी गयी विशेष दिशा-निर्देशों के बिना पारित नहीं किया जा सकता है | अधिवक्ता ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र था कि या तो किसी निर्णय के लंबित रहने तक अंतरिम रोक लगा देवे या इसे अस्वीकार कर दे और इस न्यायालय के लिए यह ऐसा मामला नहीं है जहा भारत का संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग कर अपील के लिए विशेष अनुमति के लिए ऐसी याचिकाओं पर विचार किया जाए और उच्च न्यायालय के आदेशों में हस्तक्षेप करने वाले आदेश पारित किए जाए। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि यदि इस न्यायालय द्वारा कोई रोक दी जाती है तो ऐसा बिन्दु उत्पन्न होगा कि सर्वोच्च न्यायालय ने वादी और

प्रतिवादी 11 से 13 द्वारा विचारण न्यायालय के आदेशों के विरुद्धा पेश चुनौती में योग्यता (मेरिट) पाई थी और यह एक गलत संकेत भेजेगा। अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि प्रस्तुत मामले के तथ्यों पर और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय के आदेश जिसके द्वारा विचारण न्यायालय के आदेशों में हस्तक्षेप करने को अस्वीकार किया गया था उस आदेश के विरुद्ध कार्यवाही के कोई आधार नहीं है |

10. यह सच है कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश के प्रत्येक मामले में हस्तक्षेप करना इस न्यायालय का काम नहीं है लेकिन ऐसे अवसर हो सकते हैं, जब इस न्यायालय को अपने सुधारात्मक अधिकार क्षेत्र में कदम उठाने के लिए कहा जाता है। लेकिन निश्चित रूप से ऐसा किसी विशेष मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और वे दुर्लभ हो सकते हैं। जबकि इसलिए हम उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की प्रस्तुति से सहमत हैं कि आम तौर पर इस न्यायालय को किसी विशेष मामले में उच्च न्यायालय द्वारा स्थगन देने से इनकार करने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। हम यह स्थिति नहीं मान सकते हैं कि यह न्यायालय ऐसा कभी नहीं करेगा चाहे परिस्थितियाँ जो भी हों। इस मामले में कोई उपयुक्त परिस्थिति मौजूद है या नहीं, यह अलग मामला है।

11. जहाँ तक यह प्रस्तुत किया गया है कि स्थगन का एक अंतरिम आदेश, यदि यह इस न्यायालय द्वारा मंजूर किया गया, उच्च न्यायालय को प्रभावित करेगा या उसे यह सोचने के लिए प्रेरित करेगा कि वादी और प्रतिवादी 11 से 13 द्वारा उसके समक्ष दायर याचिकाओं में योग्यता है, यह उच्च न्यायालय को न्यायिक दृष्टिकोण या प्रक्रिया के साथ संबंधित न्यायाधीश के अनुभव और परिचितता को पर्याप्त श्रेय नहीं देता है। आखिरकार, केवल इसलिए कि यह न्यायालय किसी ऐसे मामले की परिस्थितियों में रोक का ऐसा आदेश पारित करता है जो उच्च न्यायालय ने किया है, यह उम्मीद नहीं की जा सकती है कि उच्च न्यायालय अचानक अपने समक्ष लंबित मामले में योग्यता पाएगा और यह इस न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश द्वारा निर्देशित होगा। हमें विश्वास है कि किसी भी उच्च न्यायालय या कानून में प्रशिक्षित किसी भी न्यायाधीश को इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के दायरे को समझने और यह समझने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि यह क्या है तथा ऐसा करने के लिए कहे जाने कि स्थिति मे उस न्यायालय को इस तथ्य से अप्रभावित हुए बिना मामले का फैसला करना होगा कि इस न्यायालय द्वारा स्थगन का अंतरिम आदेश दिया गया है अथवा इस न्यायालय द्वारा किसी मामले में एक अंतर्वर्ती आदेश में बताए गए कारण, यदि कोई हों, कि जों अंतर्वर्ती चरण में इसके सामने आया है। इसलिए हम विरोधकर्ता उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील की आशंका में कोई योग्यता

नहीं देखते हैं कि हमारे द्वारा स्थगन का अनुदान उच्च न्यायालय को गलत संकेत भेजेगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय दोनों पक्षों की दलीलों पर गुण-दोष के आधार पर विचार करेगा तथा हमने यहाँ जो कुछ भी किया है उससे अप्रभावित होकर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर विचारण करेगा।

12. अब प्रश्न यह उत्पन्न होता हैं कि क्या हमें हस्तक्षेप करना चाहिए और क्या हमे वाद पत्र मे संशोधन से इनकार करने वाले, प्रतिवादी संख्या 11 12 और 13 के लिखित कथन के भागो को हटाये जाने और वादी की परीक्षा के लिए उस ओर से दिए गए शपथ पत्र के भागो को हटाये जाने के आदेशो से इनकार करने वाले आदेश का संचालन पर अन्तरिम रोक लगानी चाहिए ? इस प्रकार का रोक का आदेश अर्थहीन होगा क्योंकि अब तक इसमें कोई संशोधन नहीं किया गया है और संशोधन तभी अस्तित्व में आएगा जब उच्च न्यायालय इसे एक ऐसा मामला पाता है जहाँ संबंधित के प्रकाश में हस्तक्षेप की आवश्यकता होती है | तर्क जो उसके सामने उठाए जा सकते हैं। लेकिन, हम सोचते हैं कि प्रतिवादी सं. 11, 12 और 13 के लिखित कथनो के कुछ हिस्सों को हटाने वाले और वादी द्वारा मुख्य परीक्षा मे प्रस्तुत शपथपत्र के कुछ भाग को हटाये जाने के आदेशो के संचालन पर रोक का आदेश केवल तब न्यायोचित होगा यदि उच्च न्यायालय के मामले में निचली अदालत के उन आदेशों के विरुद्ध

चुनौती स्वीकार की जाए | जिसका मतलब यह होगा कि गवाहों को वापस बुलाना होगा और उन पहलुओं पर उनसे सवाल पूछना होगा जो अब उन पहलुओं को शामिल करने के लिए किए गए हैं और इससे मुकदमे को असुविधा होगी। स्थगन देने का परिणाम केवल यह होगा कि गवाहों की परीक्षा में कुछ अप्रासंगिक पहलुओं को भी शामिल कर दिया जाएगा। यदि उच्च न्यायालय रिट याचिकाओं को खारिज कर देता है, तो उन भागों को हमेशा त्यागा जा सकता है। कुल मिलाकर, सबूत का वह हिस्सा खारिज किया जाना है जो अभिवचन के बाहर होने के रूप में कुछ इस प्रकार का है जिसे न्यायालय साक्ष्य पर चर्चा करने के बाद विचारणीय माने। यहा ऐसा संदेह भी उत्पन्न नहीं हो सकता कि किसी एक ऐसी याचिका मे, जो प्रस्तुत नहीं की गयी हो, प्रमाण की मात्र पर गौर नहीं किया का सकता हो| देखें (सिद्दीक मोहम्मद शाह बनाम माउंट सरन और अन्य। , ए आई आर (1930) पी. सी. 57)।

इसलिए, इस स्तर पर, यदि उन दोनों आदेशों के संचालन पर रोक नहीं लगाई जाती है, तो यह होगा ,तो इसका अर्थ यह होगा कि स्वीकृत याचिका मे से गवाहों की परीक्षा में केवल उस हिस्से को शामिल किया जाएगा जो याचिका प्रतिवादी द्वारा 11 से 13 तक या वाद में प्रस्तुत किए जाने के लिए स्वीकार की गई याचिका से संबन्धित हो, और इससे मुकदमे को असुविधा होगी जिसे इस न्यायालय द्वारा त्वरित निपटान करने के

लिए निर्देशित गया। केवल इसलिए कि कुछ अधिक या सख्त रूप से आवश्यक प्रश्न भी या तो प्रतिपरीक्षा या मुख्य परीक्षा में पूछे जाते हैं। जो लड़ने वाले प्रतिवादियों को भी पूर्वाग्रहित नहीं कर सकता क्योंकि वे हमेशा यह अभिवचन करने के लिए स्वतंत्र हैं कि उक्त भाग को वाद पत्र के अभिवचनों से सुसंगत नहीं होने से साक्ष्य मे से हटा दिया जाये अथवा यह अप्रासंगिक रहे। हम नहीं सोचते कि इस कर्म पर किसी साक्ष्य को बंद किया जाना जरूरी है | हम यह साफ कर देते है कि अभिवचन के किस भाग और साक्ष्य के किस भाग को त्यागना होगा, यह न्यायालय द्वारा उस आदेश के आलोक में विचार किया जाना चाहिए जो उच्च न्यायालय द्वारा पारित किया जाए और यदि साक्ष्य का ऐसा भाग उन अभिवचनों द्वारा कवर गया है जिन्हें हटाये जाने का निर्देश दिया जाता है तब स्पष्ट रूप से साक्ष्य के उस हिस्से को नजरअंदाज करना होगा तथा ऐसा ही साक्ष्य के मामले मे भी किया जाएगा जहा ऐसी साक्ष्य प्रस्तुत की जाती है जो अभिवचनों में शामिल नहीं है। जाहिर है , सवाल यह है कि क्या प्रतिवादी 11,12 और 13 वाद के दायरे को बढ़ा सकते है तो ऐसे प्रश्न पर दोनों न्यायालयों अर्थात उच्च नयायालय को ऐसे मुद्दे पर विचार करने के दौरान तथा विचारण न्यायालय को वाद के अंतिम रूप से विचारण के दौरान मनन करना होगा| यह कहने के लिए पर्याप्त कारण है कि केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक संक्षिप्त परीक्षण की कोई संभावना नहीं है, हम प्रतिवादी 11,12 और 13 लिखित आदेश के कुछ हिस्सों को

हटाने वाले तथा वादी द्वारा मुख्य परीक्षा मे दिये गए शपथ पत्र के भागो को हटाने के आदेशों के संचालन पर रोक लगाते हैं।। हम यह स्पष्ट करते हैं कि लिखित कथन कि किस भाग को हटाया जाना है अथवा शपथ पत्र के किस भाग को हटाया जाना है यह उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित मामले पर उच्च न्यायालय द्वारा दिये गए विनिश्चयन पर निर्भर करेगा और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद के अंतिम निस्तारण मे विचार किया जाएगा और यदि उसके आदेश को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा जाये, तो इसके अनुरूप होगा जो आदेश जो पूर्व मे पारित हैं|

13. साथ ही, हम यह स्पष्ट करना आवश्यक समझते हैं कि वाद का विचारण चलता रहेगा और इसमें कोई बाधा नहीं होगी। हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय ने मामले को सुनवाई हेतु 20.7.2007 को रखा है और सभी पक्ष हमारे सामने सहमत हैं कि वे उस दिन मामले पर बहस करने के लिए तैयार होंगे। हम उच्च न्यायालय से यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं कि इस तरह के सरल मुद्दों को शामिल करने वाली रिट याचिकाओं को 20.7.2007 पर ही लिया जाए और कानून के अनुसार तुरंत निपटाया जाए।

14. इस प्रकार उच्च न्यायालय के आदेशों में थोड़ा संशोधन किया गया है और अपीलों का निपटारा उपरोक्त निर्देश के साथ किया जाता है। पक्षकारों को अपनी-अपनी लागत वहन करने का निर्देश दिया जाता है।

अपीलों का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी विजय टांक, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।